

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

संख्या - गंगा एक्सप्रेसवे/वन विभाग/2021

दिनांक अगस्त 2021

आदेश

शासनादेश संख्या 68/3-2(6)-1979-या 1 दिनांक 05.09.1986 का आदेश परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व महित-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व महिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं राजन कुमार, आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ सूची में उल्लिखित ग्राम सभा के प्रधान में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के स्लॉ-6 व 7 में अंकित भूमि को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य क्षेत्रफल को गैर वन भूमि को प्रदान करने हेतु उ0प्र0 शासन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ के निर्वातन पर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कियानियन हेतु शासनादेश संख्या 2598/77-3-20-21एम/19 दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में निहित व्यवधानानुसार निशुल्क पुनर्ग्रहण की जाती है।

क्रमांक	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उन्नाव	हसनगंज	ओरास	गोडवा	139इ	2.618	बंजर
2	उन्नाव	हसनगंज	ओरास	गोडवा	132	2.004	बंजर
3	उन्नाव	हसनगंज	ओरास	गोडवा	122	0.430	बंजर
4	उन्नाव	हसनगंज	ओरास	गोडवा	142घ	0.249	बंजर
कुल योग					4 किता	5.3010	

(राजन कुमार)
आयुक्त लखनऊ मण्डल
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, उन्नाव को उनके पत्र संख्या- 1/डी0एल0आर0सी0/वन विभाग/2021 दिनांक 08-08-2021 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर, तहसील भवन व सम्बन्धित ग्राम में किसी सहजदृश्य स्थान पर चरपा कराये तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चरपा होने की तिथि अंकित करते हुये अनुपालन आख्या शासन के सम्बन्धित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये। यह भी अपेक्षित है कि शासकीय अधिसूचना संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-2598/77-3-20-21एम/19 दिनांक 26.11.2020 व समय समय पर जारी नियमों/शासनादेशों के अनुसार उक्तानुसार ग्राम सभा गोडवा की उक्त भूमि कुल रकबा 5.3010 हे0 निशुल्क पुनर्ग्रहण की गई है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा के पत्र संख्या-1304/1832/यूपीडा/21(वन) दिनांक 22.06.2021 के आलोक में तदनुसार उक्त भूमि का भू-अभिलेखों में नामान्तरण एवं कब्जा हस्तान्तरण किया जाये एवं कृत कार्यवाही से राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन, लखनऊ व राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ सहित इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करे।
6. फाईल में।

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(रम विजय यादव)
अपर आयुक्त (प्रशासन)
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 14159620210917

खतौनी का नाम	खतौनी का नाम / पदनाम : मोड़वा जीराह (परगना)	तहसील : इसनगज	जनपद : उन्नाव	कसती वर्ष : 1426-1431	प्लॉट : 1
खतौनी का नाम	खतौनी का नाम / पदनाम : पित्त पति सराहक का नाम / निवास	आधिकार प्राप्त करने का वर्ष	खतौनी के प्लॉट का नंबर	प्लॉट का नंबर का शीर्षक (8-)	खतौनी द्वारा देय मासमुजारी का नाम
खतौनी का नाम	खतौनी का नाम / पदनाम : पित्त पति सराहक का नाम / निवास	आधिकार प्राप्त करने का वर्ष	खतौनी के प्लॉट का नंबर	प्लॉट का नंबर का शीर्षक (8-)	खतौनी द्वारा देय मासमुजारी का नाम
1	2	3	4	5	6
06628	उत्तर		57ख	0.1640	
			60	0.1900	
			76	0.4460	
			87ख	0.9230	
			101	0.4320	
			122	0.4300	
			132	2.0040	
			139	2.6180	
			142ख	0.2490	
			144घ	0.4550	
			147घ	0.3540	
			147घ	0.1640	
			149ख	0.0130	
			158ग	0.0250	
			169घ	0.0380	
			171अ	0.2910	
			183	0.5060	
			185ख	0.0130	
			196घ	0.0250	
			210ख	0.0720	
			218	0.0130	
			223	0.3190	
			225	1.5140	
			246अ	0.2780	
			247-	0.2780	
			249घ	2.0420	
			258	0.2020	

नोट : 1-4 जो अन्य कारणों से अक्षिप्त हैं।

अटेंशन अपर आधुनिक प्रशासन मण्डल सखनड पर सड 4252/गंगा एक्सेस डे वन डिवाजन/2021/08-41 (2020-21) दिनांक 09 सितम्बर 2021 सासनदेय सड 68/3-2(6) 1979 रो-1 दिनांक 05 09 1986 का आधिकारिक परिपत्रक करते हुए उग्रध राजस्व संहिता 2000 की धारा-59 के उपधारा (1) के खण्ड (ग) और उग्रध राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सड 28/741 एच. 1-2016 20 (5) 2016 दिनांक 03 06 2016 द्वारा प्रतिष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आधुनिक सखनड मण्डल सखनड नैच अनुसूची में उल्लिखित शक्ति को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03/06/1986 के शासनदेय के अनुसार अनुसूची के अनुक्रम 6 व 7 में उल्लिखित बात पंथावती न्यायिक प्रधिकारियों के वक्त में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता है। गाथा सड 1309/2 6180, 132/2 0640, 122 4300, 142ख/0 2490 जो कि ऊपर में दर्ज हैं, वे गंगा एक्साप्रेसवे परियोजना के पथ में विनियम करना हेतु पुनर्गठित की जाती है। 17 09 2021

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्साप्रेसवे परियोजना
मुपीडा, सखनड

http://upbhulekh.gov.in/bhulekh_login/app/tehsil/report_user/RO

264ख	0.2020
269ख	0.5710
270ख	0.2530
271घ	0.0730
273	1.0520
315	0.1900
321-	1.1450
323ग	0.1020
325घ	0.2530
334अ	0.0390
338नि	0.2820
342	0.1890
348ख	0.0630
350नि	0.7590
360ख	0.0690
361घ	0.0690
374ग	0.0250
376ग	0.0130
408ग	0.0760
477	0.1420
480	0.6650
487	0.1010
486ख	0.3920
494	0.0890
497ग	0.1080
499	0.1570
504	0.0890
509ख	0.0160
518	0.0130
533	0.0060
535	0.0060
555	0.0130
560	0.0030
563ख	0.0250
565	0.0700
573	0.0210
577	0.0190
580	0.0510


(अनुराग कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
मुपीडा, लखनऊ

कुल भूराजस्य - शून्य दशमत्वं शून्य शून्य रूपं

NIC
NATIONAL
INFORMATION
CENTRE

ताडकीस हसनगंज अन्तर्गत, इन्जाम

दिनांक एवं स्थान: ११-०३-२०२२ ७६ १७ ३९

॥ यह उद्देश्य छात्रों के प्रयोगात्मक ज्ञान को सिखाना, दूसरा चीज है कि यह छात्रों के ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से सिखाना है।



(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

गैर वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि (ग्राम गोडवा परगना औरास तहसील हसनगंज की गाटा सं०-139ड./2.6180 हे०, 132/2.004 हे०, 122/0.430 हे०, 142छ/0.2490 हे० कुल रकबा 5.301 हे० निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018. दिनांक 28 जून, 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।


क्षेत्रीय प्रशासिका
हसनगंज-रेंज
उन्नाव


प्रभागीय वनधिकारी
वन प्रभाग,
जनपद-उन्नाव


उप प्रभागीय वनधिकारी
बोंगरमऊ


उपप्रजिलाधिकारी
हसनगंज, उन्नाव


(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
मुपीडा, लखनऊ

१०. ११. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०

११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०

११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०



११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०

११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०

११. १०. १० - ११. १०. १०
 ११. १०. १० - ११. १०. १०